

बिहार सरकार,
स्वास्थ्य विभाग।

सं०सं०-5/ सूचना-23-04/2015-

/स्वा०, पटना, दिनांक:- / /2023

कार्यालय आदेश

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 की धारा-3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन निर्गत सामान्य प्रशासन विभागीय अधिसूचना सं०-7691 दिनांक-30.05.2016 के कंडिका-1 (ग) के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय स्तर पर बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत श्रीमती अलंकृता पांडेय, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग को प्रथम अपीलीय प्राधिकार नामित किया जाता है।

- 2- यह आदेश तुरंत के प्रभाव से लागू होगा।
- 3- पूर्व निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।
- 4- प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

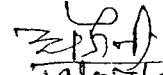
ह०/-

(अंजनी कुमार सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-5/ सूचना-23-04/2015- 887 (2) स्वा०, पटना, दिनांक:-20/07/2023

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/प्रबंध निदेशक, बी०एम०एस०आई०सी०एल०/श्री सुधीर कुमार, संयुक्त सचिव/उप सचिव/सभी निदेशक प्रमुख/निदेशक, दे०चि०/राज्य औषधि नियंत्रक/सभी अवर सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अपर निदेशक/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई०टी० प्रबंधक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



19/07/2023

सरकार के अवर सचिव।